

डिक्री बमुकदमें ईबदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- २११/2019

जोगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम्


1. हवा कंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ओंकारसिंह } पि० देवीसिंह जाति राजपूत निवासीयान सलेमगढ तहसील टिब्बी
3. करनीसिंह } जिला हनुमानगढ।
4. रतनसिंह }
5. निर्मल कंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीयासं० 1 के नाम से चकनं० 14 जीजीआर के खाता सं० 203/196 में कुल .253 है०, व इसी चक के खाता सं० 202/197 में कुल 2.530 है० तथा चकनं० 1 केएसपी ए के खाता सं० 81/80 में कुल 1.518 है० आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 14 जीजीआर के खाता सं० 203/196 व इसी चक के खाता सं० 202/197 व चकनं० 1 केएसपी ए के खाता सं० 81/80 में से प्रतिवादीयासं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....13-9-19.....को जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी